भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2300

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी

†2300. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लीः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट, प्रयोगशाला, डायलिसिस तथा रेडियोलॉजी पेशेवरों सहित संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) की कमी का आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो उक्त पेशेवरों की वर्तमान मांग, उपलब्ध कार्यबल तथा कमी का व्यवसाय-वार, जिला-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पाँच वर्षों में एक लाख संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों को जोड़ने का लक्ष्य ऐसे कार्यबल-अंतर के आकलन पर आधारित है और यदि हाँ, तो इसके अंतर्गत निर्धारित वार्षिक भर्ती/प्रशिक्षण लक्ष्यों का राज्य-वार तथा व्यवसाय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2026 से राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) के अनिवार्य बनाए गए पाठ्यक्रमों के अनुपालन, संकाय, प्रयोगशालाओं तथा नैदानिक प्रशिक्षण क्षमता के आकलन हेतु कितने संस्थानों का मूल्यांकन किया गया है तथा इस संबंध में चिह्नित कमियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवर संस्थानों के उन्नयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा प्रशिक्षण सीटों में वृद्धि के परिणामस्वरूप देशभर में कमी वाले क्षेत्रों में नियोजन योग्य पेशेवर सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित वार्षिक उल्लेखनीय संकेतकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): स्वास्थ्य कार्यबल की आवश्यकताओं का आकलन एवं प्रबंधन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे बदलती जन स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से किया जाता है। 57 मान्यता प्राप्त श्रेणियों में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृति के विनियमन हेतु एक सुदृढ़ वैधानिक तंत्र

स्थापित करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृति आयोग अधिनियम, 2021 (एनसीएएचपी) अधिनियमित किया तथा अधिनियम के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृति आयोग (एनसीएएचपी) का गठन किया। पेशेवरों एवं संस्थानों के लिए ऑनलाइन नामांकन पोर्टल अक्टूबर 2024 में शुरू किए गए, ताकि केंद्र एवं राज्य स्तर पर स्वास्थ्य कार्यबल के मैपिंग को सुगम बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन एवं निष्पादन के लिए राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषदों का गठन किया है।

सहबद्ध स्वास्थ्य वृतिकों (एएचपी) की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बजट घोषणा 2026 के दौरान केंद्र सरकार ने अगले पांच वर्षों में सहबद्ध स्वास्थ्य वृतिकों (एएचपी) की संख्या 1,00,000 तक बढ़ाने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सहबद्ध स्वास्थ्य देख-रेख वृतिकों की योजना हेतु इस वर्ष 1,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
